प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी. एंड ए.जी.) के 2007-12 अवधि के लिए एकल प्रतिवेदन, जिसमें महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के निष्पादन लेखापरीक्षा का परिणाम शामिल है, को संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत झारखण्ड के राज्यपाल के समक्ष रखने के लिये तैयार किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) झारखंड सरकार एवं 190 (छः जिलों, 17 प्रखंड़ो एवं 167 ग्राम पंचायतों) लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयों/कार्यकारी अभिकरणों के अभिलेखों के नमूना जाँच के द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा किया गया था।

लेखापरीक्षा सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के अन्तराष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानक पर आधारित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान परिणामों को लेखापरीक्षित ईकाइयों के साथ साझा की गई। राज्य सरकार के साथ एक निकास बैठक 25 जुलाई 2012 को आयोजित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा निकास बैठक में दिये जवाब पर विचार किया गया और प्रतिवेदन में समुचित रूप से समाविष्ट किया गया। सरकार का विस्तृत जवाब अभी भी प्रतिक्षित है (अप्रैल 2013)।